न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38/2019

1 नरेश कुमार पुत्र श्री ज्वालाप्रसाद उम्र 59 साल जाति महाजन निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राकेश पुत्र गोकलचन्द जाति महाजन निवासी बुहाना हाल आबाद जय श्री पाईन्ट फ्लेट नम्बर 2ए 3/10–2, अलास्कर रोड़, बैगलोर– *5560052

2 घनश्याम पुत्र गोकचन्द जाति महाजन निवासी बुहाना हाल आबाद 70/1 मिशन रोड़, बैंगलोर कर्नाटक– 560027

3 राजकुमार पुत्र गोकलचन्द जाति महाजन निवासी बुहाना हाल आबाद 16, बेली गुंगे पार्क रोड़, कोलकाता– 700019

4 संतरा पुत्री गोकलचन्द पत्नी राधेश्याम केडिया, निवासी पोलीपैक इण्डस्ट्रीज, बी/70 एडिशनल इन्डस्ट्रीज स्टेट ॲबड नासिक (महाराष्ट्र) 422010

5 सुमित्रा पुत्री गोकलचन्द पत्नी श्यामसुन्दर गोयल निवासी 44/51, ए.एस.बी. आश्रम नगर सिस्को, नासिक (महाराष्ट्र)

6 ओमप्रकाश पुत्र बहादुरमल, जाति महाजन निवासी 526 सत्याग्रह छावनी नाईन, 22 सेक्टर 5 सेटेलाईट रोड़ अहमदाबाद गुजरात।

7 सतीश पुत्र बहादुरमल जाति महाजन निवासी आनन्द नगर नासिक रोड़ नासिक महाराष्ट्र। 422012

8 शशी कुमार पुत्र बहादुरमल जाति महाजन निवासी सेठ मोहनलाल हीरालाल गोविन्द भवन दुर्गा चौक, इटारसी मध्यप्रदेश 461111।

9 पुष्पा पुत्री बहादुरमल पत्नी रामकौर निवासी सेठ मोहनलाल हीरालाल गोविन्द भवन दुर्गा चौक, इटारसी मध्यप्रदेश। 461111

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 मीना पुत्री बहादुरमल पत्नी मनोहरलाल निवासी 6 अग्रवाल नगर धुले महाराष्ट्र।

11 प्यारेलाल पुत्र हजारीलाल निवासी बुहाना हाल आबाद 63–34 वक्टेस ट्रेडिंग कम्पनी इण्डस्ट्रीयल स्टेट होटगी रोड़, सोलापुर महाराष्ट्र । 413004

12 राजकुमार उर्फ राजेश पुत्र हजारीलाल निवासी चित्रकुट नीयर कुमतखेर, हास्पीटल जुले सोलापुर महाराष्ट्र। 413004

13 विद्या पुत्री हजारीलाल पत्नी हनुमान प्रसाद जितानी, निवासी बिन्दराज सूरजमल घण्डके चौक चांदगीरी, जिला गुलबर्ग कर्नाटक।

14 इन्दू पुत्री हजारीलाल पत्नी रमेश चौधरी 65, आर.सी. एण्ड कम्पनी एन. एस.सी. बेस रोड़, चैन्नई (तमिलनाडू)

15 रंजना पत्नी प्रकाश

16 अंकित पुत्र प्रकाश

17 अखिल पुत्र प्रकाश

समस्त निवासी 23 संकेतन बजीर बाग पैलेस कॉलोनी हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश।

18 अशोक अग्रवाल पुत्र बिहारीलाल जाति महाजन निवास 8 कृष्णा अपार्टमेन्ट आनन्द नगर जाधव हॉस्पीटल के पीछे नासिक रोड़ महाराष्ट्र

19 रमेश पुत्र बिहारीलाल जाति महाजन निवासी लेज रोड़ त्रिवेणी व्यापारी बैंक, नासिक रोड़, नासिक महाराष्ट्र।

20 गीता देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति महाजन निवासी ए 32–33, आसरा हाऊसिंग सोसायटी होटगी रोड़ सोलापुर महाराष्ट्र 413004

21 सुभाष पुत्र प्रभातीलाल जाति महाजन निवासी 63–64 वक्टेस ट्रेडिंग कम्पनी इण्डस्ट्रीयल स्टेट होटगी रोड़ सोलापुर महाराष्ट्र 413004

22 कमलेश पुत्र प्रभातीलाल जाति महाजन निवासी बुहाना हाल आबाद मोदी इस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड एज्युकेशन, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

23 राहुल पुत्र प्रभातीलाल जाति महाजन निवासी वगटेस मशीनरी शॉपिंग सेन्टर, होटगी रोड़, सोलापुर महाराष्ट्र 413004

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

24 अनिता पुत्री प्रभातीलाल पत्नी नरेश जसरापुरिया जाति महाजन निवासी 29, तुलसीमाता इण्डस्ट्रीलय एरिया, बी.पी. कॉस रोड रोड़ नम्बर 5 भायन्दर (ईस्ट) मुम्बई।

25 इन्द्रमणी पत्नी पुरू ोतम जाति महाजन निवासी ए 34 असरा हाऊसिंग सोसायटी होटगी रोड़ सोलापुर महारा ट्र 413004

26 पवन पुत्र पुरू ोतम

27 मनोज पुत्र पुरू ोतम

28 सुनील पुत्र पुरू ोतम

समस्त 63—64 वक्टेस ट्रेडिंग कम्पनी इण्डस्ट्रीयल स्टेट होटगी रोड़ सोलापुर महारा ट्र 413004

29 मीरा पुत्री पुरू ोतम पत्नी मनोज कुमार ाह जाति महाजन निवासी बी—501, लच्छीराम प्लाजा फिल्म सिटी सेन्टर गोकुलधाम गोरेगांव ईस्ट मुम्बई महारा ट्र 400063

30 आशा पुत्री पुरू ोतम जाति महाजन निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

31 उप पंजीयक महोदय, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

32 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
।

33 रेवती देवी पत्नी ज्वाला प्रसाद

34 कैलाशचन्द्र पुत्र ज्वाला प्रसाद

35 विनय कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद

36 सुरेश कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद

37 ाकुन्तला पुत्री ज्वाला प्रसाद

38 उर्मिला पुत्री ज्वाला प्रसाद

समस्त जाति महाजन निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना, जिला झुन्झुनू राज.
प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रेवती देव वगै
बनाम राकेश वगै. मु.नं. 46/2018 आदेश दिनांक
12.04.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरपाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 46/2018 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 33 से 38 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 32 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत भूमि खसरा नम्बर 1545, 1546, 1828, 1832, 1835, 1836, 2440/1544 वाके ग्राम बुहाना का पेश किया था। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.04.2019 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि निर्णय जेर बहस के आधार गलत है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की प्लींडिग व साक्ष्य को नजर अंदाज किया है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपार खति के बिन्दु को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 33 से 38 के विरूद्ध तय करने में कानूनी गलती की है। पारिवारिक समझौता साक्ष्य में ग्राह्य होता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 33 से 38 की प्लींडिग को सही नहीं मानने में कानूनी गलती की है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य था। रेस्पोडेन्ट संख्या 33 से 38 विचारण न्यायालय के यहां बतौर आवेदकगण पक्षकार रहे है और वर्तमान में मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होने से बतौर रेस्पोडेन्टस पक्षकार बनाया जा रहा है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2019 को खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 33 से 38 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.65 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1828 रकबा 2. 86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1832 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1836 रकबा 5.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2440/1544 रकबा 0.10 हैक्टेयर किता 7 रकबा 10.20 हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क हकपूर्वाधिकारी ज्वाला प्रसाद, गोकलचंद बहादुरमल, हजारीलाल, बिहारीलाल, प्रभातीलाल, पुरूषोतमलाल का प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। पत्रावली पर उपलब्ध विकय पत्र दिनांक 29.08.97 के द्वारा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. ज्वालाप्रसाद ने उपरोक्त वर्णित भूमि में अपना हिस्सा 1/7 दिनांक 29.08.1997 को प्रतिवादी संख्या 33

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झु

से 36 के पिता नारायणराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है। वाद वर्णित भूमि ज्वाला प्रसाद का 1/7 हिस्सा ही बनता है जिसको वह बेचान कर दिया गया है। वर्तमान में ज्वालाप्रसाद के वारिसान रिकार्डेड खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से पारिवारिक समझौता की लिखावट प्रस्तुत की गई जो अनरजिस्टर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 धारा 88, 89, 90 आदि में अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती । प्रार्थीगण रिकार्डेड काश्तकार नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा के पात्र नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को निर्णित कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1545 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1546 रकबा 0.65 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1828 रकबा 2.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1832 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1835 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1836 रकबा 5.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2440/1544 रकबा 0.10 हैक्टेयर किता 7 रकबा 10.20 हैक्टेयर के खातेदार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क हकपूर्वाधिकारी ज्वाला प्रसाद, गोकलचंद बहादुरमल, हजारीलाल, बिहारीलाल, प्रभातीलाल, पुरूषोतमलाल का प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज रिकार्ड था। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 29.08.97 के द्वारा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. ज्वालाप्रसाद ने उपरोक्त वर्णित भूमि में अपना हिस्सा 1/7 दिनांक 29.08.1997 को प्रतिवादी संख्या 33 से 36 के पिता नारायणराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है। वाद वर्णित भूमि ज्वाला प्रसाद का 1/7 हिस्सा ही बनता है

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर (कैम्प झुन्झ

जिसको वह बेचान कर दिया गया है। वर्तमान में ज्वालाप्रसाद के वारिसान रिकार्डेड खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से पारिवारिक समझौता की लिखावट प्रस्तुत की गई जो अनरजिस्टर्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89, 90 आदि में अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती । प्रार्थीगण रिकार्डेड काश्तकार नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा के पात्र नहीं है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का बिन्दुवार विवेचन कर प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को निर्णित कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर